(11)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 385 / 2020 अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि.1955::

उनवान कालू बनाम बृजकिशोर

1. कालु भाम्बी आयु 45 साल पुत्र कल्याण जाति भांबी निवासी ग्राम राममालिया तहसील मिनाय जिला अजमेर राजस्थान।
2. नाथू लाल जटिया आयु 57 साल जाति बैरवा निवासी जटियों का मोहल्ला, नया खेर, रोलाहेडा, दोलतपुरा तहसील एवं जिला चितोडगढ राज.।
3. रामेश्वर लाल आयु 53 साल पुत्र लहरूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जवानुपरा तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ राजस्थान।
4. मैसर्स जय ग्रैनाईट्स एस 18, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया चित्तौडगढ जरिये पार्टनर अनुज कुमार ईनाणी आयु 35 साल पुत्र महेश कुमार ईनाणी निवासी रामकुज चित्तोडगढ जिला चित्तोडगढ राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. बृजकिशोर पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
3. जरिये बैंक प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

निर्णय दिनांक 08.12.2021

1. प्रार्थी की और से वकील श्री सुनील कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट क्रमांक 385 / 20[illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई, बाद तामिल अप्रार्थी [illegible] की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा उपस्थित हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम ढसूक के खसरा संख्या 1331 / 798 रकबा 04.0450 हैक्टैयर है जिसके प्रार्थीगण काबिज होकर खातेदार काश्तकार है उक्त आराजीयात में प्रार्थीगणां एवं समीपवर्ती काश्तकारों के आने जाने के लिये एक सकडी पगडण्डी का रास्ता ही उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण एवं समीपवर्ती काश्तकारों को आराजीयात मे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

(12)

या काश्त की उपज को स्वयं की आराजीयात से घरों तक लाने ले जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं जिससे की आवागमन किया जा सकता हो एवं उक्त आराजीयात के खसरा संख्या 1331/798 किस्म बंजर 02 होन के कारण उक्त आराजीयात पर ग्रेनाइट पत्थर होने से हम प्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने पार्टनरशिप फर्म जय ग्रेनाइट के साथ इकरार कर खनन की अनुज्ञा प्राप्त कर ली है जिसके खनन लीज क्रमांक 31/2023 पर खान एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर से अनुज्ञा प्राप्त कर कार्य कर रहें हैं जो आगामी 50 साल के लिये खनन निविदा जारी की गई है तथा प्रार्थीगणों को उक्त आराजीयात पर स्वयं की मशीनरी एवं खान से निकलने वाली खनन सामाग्री को लाने ले जाने के लिये 30 फीट रास्ते की अति आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थीगण की खान संचालन के लिये भारी एवं वृहत आकार की मशीनरी का हर समय आवागमन होता रहता है जो सीमीत पगण्डडी पर संभव नहीं है तथा मुख्य सडक ढसूक से झिरोता मुख्य डामर सडक से लगवा आराजीयात सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 एंव अप्रार्थी संख्या 01 की संख्या 741 प्रार्थीगणों की आराजीयात से लगवा भूमि है तथा मुख्य सडक से समीपवर्ती स्थित है जिससे प्रार्थीगणो को एंव समीपवर्ती काश्तकारों को आवागमन की असुविधा को दूर करने के लिए उपरोक्त अप्रार्थीगणें को खसरो से 30 फिट का चौडा रास्ता बनाया जाकर दूर किया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे ना केवल प्रार्थीगणों को अपितु अन्य समीपवर्ती काश्तकारों को सुविधा मिल सकेगी प्रस्तावित नक्शो को संलग्न प्रार्थना पत्र क साथ यलो रंग से दर्शित किया गया है जो कि आराजीयात के पूर्व दिशा मे मुख्य सडक ढसूक से झिरोता से मिल जायेगा इस प्रकार उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीगण स्वंय की आराजीयात में सुगमता से आवागमन कर सकेगे। इस रास्ता के लिये न्यायिक कार्यवाही कर जो भी जमा देय राशि होगी वो राशि श्रीमान के आदेशानुसार प्रार्थीगण जमा कराने के लिये तैयार एंव तत्पर है एंव वक्त बरवक्त जो भी आदेशानुसार निर्णित कर प्रतिफल राशि जमा कराने के आदेश प्रदान करेगे उस राशि को प्रार्थीगण समय पर जमा करा देंगे।

2. दिनांक 18.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से परमानन्द जी शर्मा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 141 सी0पी0सी0 में तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 141 सी0पी0सी में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 (ड) में राजस्व ग्राम ढसुक तहसील अराई जिला अजमेर (राज) में स्थित भूमि खसरा संख्या 1331/798 पर ग्रेनाईट पत्थर होना बताकर प्रार्थीगण के द्वारा मैसर्स जय ग्रेनाईट के नाम से पार्टनरशिप फर्म गठित करना बताकर उक्त पर खनन लीज खनन लीज क्रमांक 31/2013 खनन एंव भू – विज्ञान विभाग, अजमेर से [illegible] लीज 50 वर्ष के लिये जारी होना बताकर तथ्य अंकित कर उक्त खनन लीज खान प[illegible] उक्त खनन लीज भूमि पर खनन कर खनन सामग्री को लाने व ले जा[illegible] अति आवश्यकता बताकर कथित रूप से जवाबकर्ता की ग्राम ढसुक तहसील अराई जिला अजमेर (राज.) मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 741 में से व अप्रार्थी संख्या 2 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 में से रास्ता चाह कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के अनुसार खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

(13)

1331/798 की भूमि पर खनन हेतु खनन लीज जारी करवा चुके है जिसके खनन लीज पट्टा 31/2013 बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के द्वारा बताये अनुसार उक्त खसरा संख्या 1331/798 की भूमि कृषि भूमि नही रही है। बल्कि खनन लीज शुदा भूमि है। खसरा संख्या 1331/798 की भूमि पर खनन लीज जारी होने के बाद उक्त के लिये प्रश्नगत विधिक प्रावधानों के तहत जवाबकर्ता खातेदार की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 में से व अप्रार्थी संख्या 2 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 मे से रास्ता लिये जाने, विद्यमान रास्ता को विस्तारित किये जाने, चौडा किये जाने का किसी तरह का कोई विधिक प्रावधान नही है। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदार को अपनी कृषि भूमि (जोत) के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अन्य खातेदार की कृषि भूमि (जोत) में से होकर नया रास्ता प्राप्त करने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तावित या चौडा किये जाने का विधिक प्रावधान है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में खनन लीज शुदा भूमि के लिये रास्ता चाहने के कारण एव प्रश्नगत विधिक प्रावधानो के तहत खनन लीज भूमि के लिये रास्ता उपलब्ध करवाये जाने, विस्तारित किये जाने, चौडा किये जाने के बाबत किसी तरह का कोई प्रावधान नही होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र विधिक रूप से चलने योग्य नही होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने की कृपा करावे।

3 जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) मे वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश करते हुये निवेदन किया गया कि धारा 251(क) राज.का.अधि. मे खातेदार को अपनी कृषि भूमि के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अन्य खातेदार की कृषि भूमि मे से होकर नया रास्ता प्राप्त करने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तावित या चौडा किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03(ड) में राजस्व ग्राम दसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज. में स्थित भूमि खसरा संख्या 1331/798 पर ग्रेनाइट पत्थर होना बताकर प्रार्थीगण के द्वारा मैसर्स जय ग्रेनाइट के नाम से पार्टनरशिप फर्म गठित करना बताकर उक्त खनन लीज क्रमांक 31/2023 खनन एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर से जारी होना बताकर उक्त खनन की लीज 50 वर्ष के लिये जारी होना बताकर तथ्य अंकित कर उक्त खनन लीज खान पर मशीनरी एवं उक्त खनन लीज भूमि पर खनन कर खनन सामाग्री को लाने व ले जाने के लिये 30 फीट के रास्ते की अतिआवश्यकता बताकर कथित रूप से जवाबकर्ता की ग्राम डसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज. में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 741 में से व अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 में से रास्ता चाह कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के द्वा[illegible]नुसार उक्त खसरा संख्या 1331/798 की भूमि कृषि भूमि नही रही है बल्कि [illegible] 1331/798 की भूमि पर खनन लीज जारी होने के बाद उक्त के लि[illegible]के तहत जवाबकर्ता खातेदार की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 में से व अप्रार्थी संख्या 02 की सरका[illegible]मि खसरा संख्या 742 में से रास्ता लिये जाने, विद्यमान रास्ते को विस्तारित किये जाने, चौडा किये जाने का किसी तरह का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

(15)

...वधान नहीं है। विधिक प्रावधान नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ... खसरा संख्या 1331/798 के बाबत जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 741 व अप्रार्थी संख्या 02 ... सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 मे से कथित रूप से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 741 व 742 ... लगता हुआ किसी भी दिशा में कोई भी रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 1331/798 की भूमि के पूर्व दिशा में जवाबकर्ता की खसरा संख्या 741 की भूमि है, जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 741 के पूर्व व दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 व दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 766 गै.मु. मोरी, खसरा संख्या 789 की भूमि है तथा खसरा संख्या 742 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 765 के गै. मु. मोरी है, खसरा संख्या 742 की पूर्व दिशा में खसरा संख्या 743,745,764 अन्य की भूमि है एवं जवाबकर्ता की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 के उत्तर दिशा में अन्य के खसरा संख्या 737 व 736 की भूमि है तथा पूर्व दिशा में अन्य की खसरा संख्या 734, 735 की भूमि है इस प्रकार जवाबकर्ता की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 व अप्रार्थी संख्या 02 कर सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 के लगता हुआ किसी तरह का कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण जवाबकर्ता की भूमि में से किसी तरह का कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, ना ही प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रकार से जवाब कर्ता की भूमि में से व अप्रार्थी संख्या 02 की भूमि में से चाहा गया रास्ता प्रश्गनत विधिक प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। खसरा संख्या 1331/798 का मूल खसरा संख्या 798 है, खसरा संख्या 798 का रकबा 109 बीघा 05 बीस्वा था, उक्त खसरा संख्या 798 रकबा 109 बीघा 05 बीस्वा भूमि में से प्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा भूमि को क्रय किया गया था जिसके आधार पर प्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम नामान्तरण, नामान्तरण संख्या 1286 दिनांक 08.04.2016 को खोला गया था जिसके तहत प्रार्थी संख्या 01 कालू पुत्र कल्याण का उक्त भूमि में 100/2185 वा हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 नाथू पुत्र लालू का उक्त भूमि में 200/2185 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 03 रामेश्वर पुत्र लहरूराम का उक्त भूमि में 200/2185 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। उक्त के पश्चात खसरा संख्या 798 के खातेदारों के द्वारा बंटवारा किया गया था जिसका बंटवारा का नामान्तरण, नामान्तरण संख्या 1290 दिनांक 04.06.2023 को खोला गया था जिसके तहत प्रार्थी संख्या 01 से 03 के हिस्से की भूमि के नवीन खसरा संख्या 798/01 बने तथा शेष भूमि के खसरा संख्या 798 बने। खसरा संख्या 798/01 के ही नवीन खसरा संख्या 1331/798 बने है शेष रही खसरा संख्या 798 के नवीन खसरा संख्या 1131/798, 1244/798,1248/798, 1245/798 व 1246/798 है। इस प्रकार खसरा संख्या 1331/798, खसरा संख्या 798 का ही भाग है। मूल खसरा संख्या 798 के उत्तर दिशा में लगता हुआ ढसूक से आकोडिया जाने वाला रास्ता स्थित है जो सरकारी राजस्व [illegible] होकर उक्त के खसरा संख्या 63 है । खसरा संख्या 798 के खातेदार उक्त [illegible] ढसूक से आकोडिया जाने वाला रास्ता जिसके खसरा संख्या 63 से आते जाते रहे है एवं आते [illegible] रहते है खसरा संख्या 798 की भूमि में प्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा भूमि को क्रय करने के बाद [illegible] संख्या 01 से 03 भी उक्त ढसूक से आकोडिया जाने वाला रास्ता जिसके खसरा संख्या 63 से आते जाते रहें हैं एवं आते जाते रहते हैं। खसरा संख्या 798 के खातेदारों के द्वारा बंटवारा करने पर बंटवारे के समय उक्त भूमि के उत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

(15)

स्थित को रास्ता को मध्येनजर रखकर खसरा संख्या 798 की बंटवारा कर रास्ता कायम कर रास्ता करना था। खसरा संख्या 1331/798 व खसरा संख्या 1246/798 खसरा संख्या 798 की ही भाग है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1331/798 के लगती हुई उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1246/798 की भूमि है, खसरा संख्या 1246/798 की भूमि में रास्ता दर्शाता है, उक्त को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया है जो ढसूक से आकोडिया जाने वाले रास्ता जिसके खसरा संख्या 63 है से मिलता है। यदि प्रार्थीगण को किसी भी विधिक प्रावधानों के तहत किसी प्रकार को कोई रास्ता प्राप्त करने को अधिकार है तो प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1331/798 के उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1246/798 में से अथवा खसरा संख्या 1131/798, 1244/798, 1248/798 व 1245/798 जो कि खसरा संख्या 798 की ही भाग है रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त भूमि में चाहा गया रास्ता ही सरलतम, लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण के द्वारा जानबूझकर उक्त भूमि में से रास्ता नहीं चाहकर जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 741 व अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 में से गलत रूप से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण, जवाबकर्ता की भूमि में से कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक में स्थित भूमि खसरा संख्या 798 भूमि तालाब पेटा की भूमि है उक्त भूमि के उत्तर दिशा में व जवाबकर्ता की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 के दक्षिण दिशा में सुरक्षा दीवार बनी हुई है जो दोनों खसराओं को डिमार्क करती है प्रार्थीगण द्वारा कथित रूप से सुरक्षा दीवार में रास्ता चाहा गया है जो किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने की कृपा करावें।

4. दिनांक 22.02.2021 को वकील प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 सपठित धारा 141 सीपीसी का पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो मौजूदा आपत्ति प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 141 सीपीसी का पेश किया है वह संधारणीय नहीं है पोषणीय नहीं होने से प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है क्योंकी प्रार्थीगण/आवेदनकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. 1955 के तहत पेश किया गया है जो दीवानी वाद की श्रेणी में नही आता है और ना ही दीवानी विविध की श्रेणी में ही आता है ऐसी स्थिती मे विशिष्ट रूप से इस प्रस्तुत आवेदन पर सिविल प्र.सं. के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित आपत्ति की 'खसरा संख्या 1331/798 की भूमि पर खनन लीज जारी होने के बाद यह खसरा संख्या कृषि भूमि नहीं रह गया है'। यह आपत्ति तथ्य व विधि की दृष्टि से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वास्तुस्थिती के विपरित व राजस्व रिकॉर्ड के तथ्यों को तोड मरोड कर प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण/आवेदनकर्ता खसरा संख्या 1331/798 का खातेदार है तथा मात्र इस खसरे का अंश भाग ही खनन लीजशुदा भूमि पूरा खसरा नहीं एवं ना ही प्रार्थी संख्या 01 कालू भांबी के हिस्से पर कोई लीज जारी है ऐसी स्थिती में जो जिस खातेदारी आराजी के खसरे तक जाने के लिये निकटतम रास्ता प्रार्थीगण/आवेदकर्ता के द्वारा मांगा जा रहा है वह खसरा संख्या 741 व खसरा संख्या 742 से ही निर्धारित होता है जो अनुतोष भी प्रार्थीगण/आवेदनकर्ता ने क्लेमकर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
ब्यावर (अजमेर)

(16)

किया है जो रास्ता वस्तुत मौके पर पगडण्डी के रूप में पूर्वोतर मौजूद है जिसके वर्तमान में जो बना हुआ है उसके मौके के फोटोग्राफ्स जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जा रहें है। धारा 251क राज.का.अधि. के प्रकरण को विचारण Summary In nature का है जिसे अप्रार्थी संख्या 01 जटिल व विवादित बनाना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाकर उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कृपा करावें।

5. दिनांक 06.04.2023 को तहसीलदार अरांई को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार अराई की मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 1331/798 के लिये लगता हुआ खसरा संख्या 798 खातेदारी एवं बाद में खसरा संख्या 827 चारागाह से वर्तमान में प्रार्थीगण का आना जाना है व मौके पर ग्राम मुण्डोती रास्ता तक ग्रेवल सडक बना रखी है जिस पर भारी वाहनों का आना जाना है। उक्त खसरा संख्या 1331/798 में खनन कार्य किया गया व 150×150 ल.चौ. व 30 फीट गहरा तक खनन कर ग्रेनाइट्स पत्थरों की निकासी की गई तथा उसी समय से यही रास्ता काम में आ रहा है। मौके का अवलोकन करने पर पाया गया कि झीरोता सडक व उक्त सडक से लगता सिवायचक खसरा संख्या 1409/742 व खातेदारी 741 में से होकर भी रास्ता दिया जा सकता है लेकिन उपरोक्त खसरों के पश्चिम दिशा में नारायण सागर तालाब है जिसकी भराव क्षमता काफी अच्छी है जिससे खसरा संख्या 1409/742 व 741 में पानी का रिसाव होने के बाद किसी भी प्रकार का रास्ता आवागमन के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः प्रार्थी को खसरा संख्या 827 चरागाह व खसरा संख्या 798 खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित है। जबकि सबसे नजदीक रास्ता 1409/742 व खातेदारी 741 से होकर रास्ते की लम्बाई 158 मीटर एवं खसरा संख्या 827 चरागाह व खसरा संख्या 798 से होकर रास्ते की लम्बाई 206 मीटर है। नियमानुसार सबसे कम दूरी का रास्ता दिया जाना उचित है। लेकिन इस रास्ते पर नारायण सागर तालाब है जिसके पानी का रिसाव होगा। खसरा संख्या 827 चरागाह व खसरा संख्या 798 पर वर्तमान में ग्रेवल सडक बनी हुई है एवं इसी रास्ते से वर्तमान में आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा संख्या 1331/798 हेतु रास्ता चाहा गया है किन्तु उक्त भूमि खनन लीज क्रमांक 31/2013 को खनन विभाग अजमेर से लीज हो रखी है।

6. तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की ओर से दिनांक 06.04.2023 को प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि **मौका रिपोर्ट प्रावधानों के अनुसार संधारणीय व पोषणीय नहीं होने से प्रथम दृष्टया खारिज करे जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। उसमें प्रार्थी को द्वारा चाही गई रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने एवं मुख्य सड़क के समीपवर्ती राशि दिए जाने का प्रावधान होने के आधार पर मुख्य सड़क के समीपवर्ती रास्ते की मांग की गई है। मौका पर्चा में भी यह सबसे समीपवर्ती मार्ग की रिपोर्ट है। परंतु राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी ने मौका पर्चा में चाहे गए रास्ते की दूरी खसरा संख्या 741**

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

री भूमि खसरा संख्या 742 के हाल खसरा संख्या 1409/742 में रास्ता सबसे समीपवर्ती [illegible]टर की दूरी अंकित करते हुए इस मार्ग को सबसे उचित माना गया है। परंतु साथ ही इस रास्ते को समीपवर्ती नारायण सागर की पाल की सेफ्टी वाल से रिसाव की आशंका दर्शाते हुए अन्य रास्ता खसरा नंबर 827, 798 से दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है। जिसकी मुख्य सड़क मुंडोती से दूरी 206 मीटर दूरी दर्ज की गई है जो ग्राम तीर वालों की ढाणी से होते हुए मुख्य सड़क झीरोता की दूरी करीब 1500 मीटर अनुमानित बनती है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त खसरा नंबर 827 एवं 798 के खातेदारों को ना तो पक्षकार बनाया है और ना ही मुख्य सड़क झीरोता से अधिक दूरी होने के कारण उक्त मार्ग की मांग की गई है। ना ही प्रार्थीगण की खातेदारी का यह सबसे समीपवर्ती रास्ता है और उक्त के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल न्यायालय में विभिन्न राजस्व वाद अजमेर में विचाराधीन है जिसके कारण इन खसरों से रास्ते दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही सबसे निकटवर्ती रास्ता खसरा संख्या 741, 742 आज खसरा नंबर 1409/742 से दिया जाना ही उपयुक्त रहेगा जिसकी जांच पटवारी हल्का द्वारा की गई है। वर्तमान में भी मौके पर स्थित होकर श्रीमान के समक्ष फोटोग्राफ प्रस्तुत किए जा चुके हैं और कम चौड़ाई की उत्तर रास्ते में बरसात में भी कभी भी पानी का रिसाव नहीं होता क्योंकि उसे नारायण सागर के अंदर सेफ्टी वाल का निर्माण हो रखा है जिससे पानी का रिसाव हो | केवल काल्पनिक एवम जानबूझकर प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए की गई कार्यवाही की टिप्पणी मात्र है | ऐसी स्थिति में विशेष रुप से मौका पर्चा के अतिरिक्त रास्ते के सम्बन्ध में जो भू.अ.नि. एवम पटवारी हल्का की टिप्पणी है वह केवल प्रार्थना पत्र को विलंबित करने के उद्देश्य से की गयी है जो की ख़ारिज करने योग्य है | इन सभी कारणों को देखते हुए पटवार हल्का द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट को खारिज किया जाए तथा रास्ते के क्षेत्रफल के आधार पर मूल्य राशि निर्धारण करने के आदेश प्रदान करें। यह है कि मौका पर्चा दिनांक 12.07.2022 में वर्णित अतिरिक्त रास्ते का कथन करने एवम प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का क्षेत्रफल एवं मूल्य नहीं दिया जाकर उसके स्थान पर राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में दर्ज खसरे से रास्ते दिए जाने की जो अनुशंसा की गई है। वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] जाकर स्पष्ट मौका पर्चा मंगाया जाना या मौका पर्चा से कम दूरी के रास्ते 1[illegible] मीटर [illegible] आधार पर उसका क्षेत्रफल एवं भूमि निर्धारण किया जाना उचित है। [illegible] से स्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि वस्तुस्थिति के विपरीत व राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मौका रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण एवं आवेदनकर्ता खसरा संख्या 1331/798 के खातेदार हैं। इस खातेदारी भूमि के खसरे तक आने-

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

(18)

लिए निकटतम रास्ता प्रार्थीगण द्वारा मांगा जा रहा है जो खसरा संख्या 741 व खसरा व 742 से निर्धारित होता है जिसका अनुतोष प्रार्थीगण द्वारा क्लेम किया गया है जो रास्ता वस्तुतः मौके पर 10, 12 फीट चौड़े रूप में पूर्वोत्तर समय से मौजूद है जिसके वर्तमान के समय के फोटोग्राफ्स न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न है। मौका पर्चा में अतिरिक्त रास्ते के कथन सारहीन व आधारहीन होने से स्वीकार नहीं है। वस्तुस्थिति उपरोक्त पैरा में वर्णित है। प्रार्थी संख्या दो के अधिकारी/कर्मचारी ने मात्र देरी के उद्देश्य से स्पष्ट मौका पर्चा एवं रास्ते में आने वाले भूमि एवं उसके मूल्य राशि का उल्लेख नहीं किया तथा अन्यत्र रास्ते की रिपोर्ट की गई जो प्रार्थना पत्र के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरणों का विचारण SUMMARY IN NATURE का है और उसके नियमों के अनुपालन में ही मौका पर्चा जांच रिपोर्ट बनाई जानी आवश्यक है जिसमें जानबूझकर स्वविवेक से मौके पर नही जाकर नवीन तथ्य जोड़ते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरों के अलावा नवीन मार्ग के तथ्य प्रस्तुत किये गये जो कि निरस्तनिय है| मौका पर्चा में अतिरिक्त दिए जाने वाले रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 827 एवं 798 में विवादित एवं राजस्व स्थगन होने से उसके गुणावगुण माननीय न्यायालय द्वारा करवाई जाना कतई संभव नहीं है। जब प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया सबसे समीपवर्ती रास्ता तो प्रार्थीगण को जानबूझकर दूरी का रास्ता दिया जाना अपने आप में ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अतिरिक्त रास्ते के भाग को खारिज किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते की दूरी 156 मीटर को रिकॉर्ड में लिया जाना उचित है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आने के लिए वर्तमान समय में अपने वाहनों इत्यादि को लाने वाले जाने के लिए कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है। जिसके लिए मजबूरी में प्रार्थीगण को कभी कहां से कभी कहां से निकलना पड़ता है एवं प्रार्थीगण के खेतों की सीमा के अनुरूप झीरोता सड़क से ही आना जाना सुलभ है। जानबूझकर झीरोता सड़क के बजाय मुंडोती रोड से होते हुए झीरोता सड़क से जोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है एवं मौका पर्चा रिपोर्ट में खसरा संख्या 827 एवं 798 में जो ग्रेवल सड़क का होना बताया गया है उसने प्रार्थीगण को विवादित भूमि से आना जाना संभव नहीं है क्योंकि उक्त भूमि में विचाराधीन राजस्व दावों के निर्णय से पूर्व उक्त खसरों से कोई रास्ता बनाया जाना व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के रास्ते की मांग अनुरूप मार्ग का अधिकार प्रदान किया जाना केवल एक दिवास्वपन रह जाएगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा में दर्ज अतिरिक्त रास्ते के भाग को खारिज किया जाकर सबसे निकटतम रास्ता सड़क से रास्ते की दूरी 156 मीटर की राशि मूल्य की स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाई जाकर मानवीय संवेदना रखते हुए उक्त प्रकरण का शीघ्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

[illegible]घ्र निस्तारण किए जाने की कृपा करें जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के मार्ग समस्या का निस्तारण हो सके |

दिनाक 18.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 की और से जवाब आपत्ति का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदार को अपनी कृषि भूमि जोत के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अन्य खातेदार की कृषि भूमि जोत में से होकर नया रास्ता प्राप्त करने व किसी विद्यमान मार्ग को प्रसारित व चौड़ा करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण के द्वारा धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3(ड) में राजस्व ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित भूमि खसरा संख्या 1331/798 पर ग्रेनाइट पत्थर होना बताकर प्रार्थीगण के द्वारा मेसर्स जे. ग्रेनाइट के नाम से पार्टनरशिप फर्म गठित करना बताकर उसपर खनन लीज खनन लीज क्रमांक 31/2013 खनन एवं भूविज्ञान विभाग अजमेर से जारी होना बताकर उत्खनन के लिए 50 वर्ष के लिए जारी होना बताकर के तथ्य अंकित कर उत्खनन लिए स्थान पर मशीनरी एवं उपकरण लीज भूमि पर खनन खनन सामग्री को लाने वाले जाने के लिए 30 फीट के रास्ते की अति आवश्यकता बताई जा कर कथित रूप से जवाबकर्ता कि ग्राम ढसूक तहसील अराई में स्थित भूमि खसरा संख्या 741 में से एवम प्रार्थी संख्या दो कि सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 में से रास्ता चाहकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। खनन लीज शुदा भूमि के लिए दूसरों की खातेदारी की भूमि में से रास्ते दिए जाने हेतु धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण के लिए उक्त विधिक प्रावधानों का अवलंब लेकर मूल प्रार्थना पत्र के बाबत रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया | प्रार्थीगण के द्वारा जिस जगह से रास्ते से चाहा था वहां पर नारायण सागर की पाल है। इस कारण वहां से रास्ता दिया जाना भी किसी भी रूप में संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा जिस जगह से रास्ता चाहा गया ही वहां कभी रास्ता नहीं रहा है ना ही प्रार्थीगण द्वारा कथित रूप से रास्ते का कभी उपयोग में लिया गया है। खसरा संख्या 1331/798 से लगती हुई खसरा संख्या 798 की खातेदारी भूमि है और बाद में चारागाह भूमि है। जहां पर मौके पर आज तक ग्रेवल रोड आने जाने हेतु बनी हुई है। रास्ते से ही प्रार्थीगण का आना जाना रहता है जिस पर भारी वाहनों का आना जाना है [illegible] द्वारा खसरा संख्या 1331/798 में खनन कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर खनन कर [illegible] ग्रेनाइट पत्थरों की निकासी की गई है। पत्थरों की निकासी इसी रास्ते से की जा रही है। काफी समय से यह रास्ता काम में आ रहा है। इस तरह मौके पर रास्ता उपलब्ध है। तहसीलदार के द्वारा उसके संदर्भ में रिपोर्ट पेश की गई है। वह सही पेश की गई है। तहसीलदार के द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

(10)

पेश करनी थी जो मौके के अनुसार रिपोर्ट पेश की गई है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर तथ्य अंकित कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः पैरो के आधार पर उपरोक्तअनुसार अस्वीकार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के ख़ारिज करने की कृपा करे |

8. दिनांक 13.10.2023 को वकील उभयपक्ष की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी | बहस के आधार पर आपत्ति प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पुन मंगवाए जाने बाबत को ख़ारिज किया गया | वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी एवम प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251(क) पर वकील उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गयी|

9. वकील प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया था एवं प्रार्थी संख्या 1 की आराजी खातेदारी भूमि पर काश्त की जा रही है एवम अन्य प्रार्थी संख्या 02 से अंतिम द्वारा भी कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में जो खनन से संबंधित तथ्य वर्णित किया गया, उक्त भूमि पर निविदा से खनन कार्य किया जाना प्रस्तावित एवं प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से स्पष्ट लिखकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपस्थित हुआ है एवं प्रार्थीगणों की आराजी के भूमि वर्तमान में खातेदारी की किस्म परिवर्तित होकर करना इत्यादि में दर्ज नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी की भूमि के खसरा संख्या 1331/798 रकबा 4.0450 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर बदस्तूर चला आ रहा है | इस कारण जब आराजियत काश्त वाली भूमि खातेदारी भूमि है तो उसमें खातेदारी कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 या उसके सभी प्रावधान लागू होने से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की श्रवनाधिकारिता एवम क्षेत्राधिकारिता में आता है | इसमें प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर मुख्य प्रार्थना पत्र को भ्रमित करने के लिए मिथ्या साक्षी गड़े जाकर माननीय न्यायालय को भटका कर प्रार्थी को न्याय को प्राप्त करने में विलम्ब मात्र भी करने के लिए जवाब प्रार्थना पत्र इत्यादि प्रस्तुत किए गए हैं एवं पूर्व में भी प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र को विलंबित करने का अवैधानिक प्रयास कर चुका है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिवस को ही वर्तमान मौके के समय दिनांक एवं अक्षांश एवं देशांतर सहित प्रार्थना पत्र के साथ फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने हेतु रास्ता दर्शित एवं मौके पर विद्यमान है क्योंकि उक्त रास्ते की चौड़ाई कम होने से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के चौड़ाई बढाई जाने जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी संख्या 01 मार्ग का नही होना अपने जवाब में लिखकर केवल माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:32:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सराई (अजमेर)

(21)

कर रहा है एवं जहां अप्रार्थी संख्या 1 की राज सरकार की भूमि की बात है तो प्रार्थी ... रास्ते की मांग कर रहा है वहां पर खसरा संख्या 798 एवं 741 की सीमा भी स्पष्ट सीमाज्ञान नहीं होने से संदेहास्पद है। हो सकता है कि प्रार्थीगण द्वारा मांगा जा रहा रास्ते में जो अधिनियम में मार्ग की चौड़ाई नियत की गई है वह अप्रार्थी के खसरा संख्या 741 की सीमा में नही आकर खसरा संख्या 798 की सीमा में ही आये।

10. राजस्व विभाग ने जो मौका पर्चा दिनांक 12.07.2022 को बनाया है उसमें राजस्व विभाग द्वारा सबसे कम दूरी 158 मीटर होना वर्णित किया गया है एवं अपनी रिपोर्ट में इसी खसरे से रास्ते को सबसे कम दूरी का बताया है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के द्वारा अपने परिपत्र में भी यह उल्लेख किया गया है कि सबसे कम दूरी एवं लघुत्तम मार्ग ही प्रार्थी को दिया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वस्तुस्थिती के विपरित व राजस्व रिकार्ड के विपरित तथ्यों को तोड मरोड कर पेश किया है जबकि प्रार्थीगण ही खसरा संख्या 1331/798 के खातेदार हैं तथा केवल इस खसरे का अंश भाग ही खनने कार्य हेतु काम में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा जो प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाये गये है उनकी खातेदारी में से होकर रास्ता दिया जाना संभव नहीं है क्योंकी उन खसरो पर वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में कई राजस्व वाद विचाराधीन है। प्रार्थीगण के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार एवं राज.का.अधि. 1955 की धारा 251(क) के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 1331/798 में आने जाने के लिये खसरा संख्या 741 एवं 1409/741 से पूर्वसमय से ही संचालित रास्ते को विस्तारित कर 30 फीट चौडाई का रास्ता बनाते हुये खसरा संख्या 1410/742 सरकारी मुख्य सडक रास्ता झीरोता ढसूक से प्रार्थीगण को दिये जाने योग्य है जो कि वर्तमान में भी यह मार्ग लघु मार्ग के रूप में संचालित है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज.का.अधि. 1955 की धारा 251(क) की बहस कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्वया 1331/798 में आने जाने के लिये विगत समय से बने हुये मार्ग को 30 फीट चौडा करके खसरा संख्या 741, 1409/742 में से मार्ग विस्तारित करने के आदेश प्रदान कर उक्त मार्ग को समाविष्ट करने वाली उक्त भूमि के संबंध मे अभिधृति निर्वापित की जाकर राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित करने के अधिकार प्रदान करने हेतु राजकीय नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाये जाने के आदेश प्रार्थीगण को देने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि धारा 251(क) राज.का.अधि. में खातेदार को अपनी कृषि भूमि के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अन्य खातेदार की कृषि भूमि के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अन्य खातेदार की कृषि भूमि में से होकर नया रास्ता प्राप्त करने या किसी विद्यमान मार्ग ... या चौडा किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03(डी) ... ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित भूमि खसरा संख्या 1331/798 पर ग्रेनाइट पत्थर होना बताकर प्रार्थीगण के द्वारा मैसर्स जय ग्रेनाइट के नाम से पार्टनरशिप फर्म गठित करना बताकर उक्त खनन लीज खनन लीज क्रमांक 31/2023 खनन एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर से जारी होना बताकर उक्त खनन की लीज 50 वर्ष के लिये जारी होना बताकर तथ्य अंकित कर उक्त खनन लीज खान पर मशीनरी एवं उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

02

लीज भूमि पर खनन कर खनन सामाग्री को लाने व ले जाने के लिये 30 फीट के रास्ते की आवश्यकता बताकर कथित रूप से जवाबकर्ता की ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 741 में से व अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 में से रास्ता चाह कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के द्वारा बताये अनुसार उक्त खसरा संख्या 1331 / 798 की भूमि कृषि भूमि नहीं रही है बल्कि खनन लीजशुदा भूमि है, खसारा सख्या 1331 / 798 की भूमि पर खनन लीज जारी होने के बाद उक्त के लिये प्रश्नगत विधिक प्रावधानों के तहत जवाबकर्ता खातेदार की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 में से व अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 मे से रास्ता लिये जाने, विद्यमान रास्ते को विस्तारित किये जाने, चौडा किये जाने का किसी तरह का कोई विधिक प्रावधान नही है। विधिक प्रावधान नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 1331 / 798 के बाबत जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 741 व अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 मे से कथित रूप से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 741 व 742 के लगता हुआ किसी भी दिशा में कोई भी रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 1331 / 798 की भूमि के पूर्व दिशा मे जवाबकर्ता की खसरा संख्या 741 की भूमि है, जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 741 के पूर्व व दक्षिण दिशा मे अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 व दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 766 गै.मु. मोरी, खसरा संख्या 789 की भूमि है तथा खसरा संख्या 742 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 765 के गै. मु. मोरी है, खसरा संख्या 742 की पूर्व दिशा में खसरा संख्या 743,745,764 अन्य की भूमि है एवं जवाबकर्ता की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 के उत्तर दिशा मे अन्य के खसरा संख्या 737 व 736 की भूमि है तथा पूर्व दिशा मे अन्य की खसरा संख्या 734, 735 की भूमि है इस प्रकार जवाबकर्ता की कृषि भूमि खसरा सख्या 741 व अप्रार्थी सख्या 02 कर सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 के लगता हुआ किसी तरह का कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण जवाबकर्ता की भूमि में से किसी तरह का कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है, ना ही प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रकार से जवाब कर्ता की भूमि में से व अप्रार्थी संख्या 02 की भूमि मे से चाहा गया रास्ता प्रशगनत विधिक प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। खसरा संख्या 1331 / 798 का मूल खसरा संख्या 798 है, खसरा संख्या 798 का रकबा 109 बीघा 05 बीस्वा था, उक्त खसरा सख्या 798 रकबा 109 बीघा 05 बीस्वा भूमि में से प्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा भूमि को क्रय किया गया था जिसके आधार पर प्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम नामान्तरण, नामान्तरण संख्या 1286 दिनाक 08.04.2016 को खोला गया था जिसके तहत प्रार्थी सख्या 01 कालू पुत्र कल्याण का उक्त भूमि मे 100 / 2185 वा हिस्सा, प्रार्थी सख्या 02 नाथू पुत्र लालू का उक्त भूमि मे 2[illegible] हिस्सा तथा प्रार्थी सख्या 03 रामश्वर पुत्र लहरूराम का उक्त भूमि मे 200 [illegible] किया गया था। उक्त के पश्चात खसरा संख्या 798 के खातेदारो के द्वारा बंटवारा किया गया [illegible] जिसकी बंटवारा का नामान्तरण, नामान्तरण संख्या 1290 दिनांक 04.06.2023 को खोला गया था जिसके तहत प्रार्थी संख्या 01 से 03 के हिस्से की भूमि के नवीन खसरा संख्या 798 / 01 बने तथा शेष भूमि के खसरा संख्या 798 बने। खसरा संख्या 798 / 01 के ही नवीन खसरा संख्या 1331 / 798 बने है शेष रही खसरा संख्या 798 के नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई जिला अजमेर

(23)

ख्या 1131 / 798, 1244 / 798,1248 / 798, 1245 / 798 व 1246 / 798 है। इस प्रकार खसरा संख्या 798, खसरा संख्या 798 का ही भाग है। मूल खसरा संख्या 798 के उत्तर दिशा में लगता हुआ ढसूक से आकोडिया जाने वाला रास्ता स्थित है जो सरकारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उक्त के खसरा संख्या 63 है । खसरा संख्या 798 के खातेदार उक्त भूमि के उत्तर दिशा में स्थित उक्त ढसूक से आकोडिया जाने वाला रास्ता जिसके खसरा संख्या 63 से आते जाते रहें हैं एवं आते जाते रहते हैं खसरा संख्या 798 की भूमि में प्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा भूमि को क्रय करने के बाद प्रार्थी संख्या 01 से 03 भी उक्त ढसूक से आकोडिया जाने वाला रास्ता जिसके खसरा संख्या 63 से आते जाते रहें हैं एवं आते जाते रहते हैं। खसरा संख्या 798 के खातेदारों के द्वारा बंटवारा करने पर बंटवारे के समय उक्त भूमि के उत्तर दिशा में स्थित को रास्ता को मध्येनजर रखकर खसरा संख्या 798 की बंटवारा कर रास्ता कायम कर रास्ता प्राप्त करना था। खसरा संख्या 1331 / 798 व खसरा संख्या 1246 / 798 खसरा संख्या 798 की ही भाग है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1331 / 798 के लगती हुई उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1246 / 798 की भूमि है, खसरा संख्या 1246 / 798 की भूमि में रास्ता दर्शाता है, उक्त को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया है जो ढसूक से आकोडिया जाने वाले रास्ता जिसके खसरा संख्या 63 है से मिलता है। यदि प्रार्थीगण को किसी भी विधिक प्रावधानों के तहत किसी प्रकार को कोई रास्ता प्राप्त करने को अधिकार है तो प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1331 / 798 के उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1246 / 798 में से अथवा खसरा संख्या 1131 / 798, 1244 / 798, 1248 / 798 व 1245 / 798 जो कि खसरा संख्या 798 की ही भाग है रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त भूमि में चाहा गया रास्ता ही सरलतम, लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण के द्वारा जानबूझकर उक्त भूमि में से रास्ता नहीं चाहकर जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 741 व अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 742 में से गलत रूप से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण, जवाबकर्ता की भूमि में से कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक में स्थित भूमि खसरा संख्या 798 भूमि तालाब पेटा की भूमि है उक्त भूमि के उत्तर दिशा में व जवाबकर्ता की कृषि भूमि खसरा संख्या 741 के दक्षिण दिशा में सुरक्षा दीवार बनी हुई है जो दोनों खसराओं को डिमार्क करती है प्रार्थीगण द्वारा कथित रूप से सुरक्षा दीवार में रास्ता चाहा गया है जो किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने की कृपा करावें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या (ड) में प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता स्वयं उल्लेखित [illegible] "आराजीयात के खसरा संख्या 1331 / 798 किस्म बंजर 02 होने के कारण उक्त आराजीयात [illegible] से हम प्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने पार्टनरशिप फर्म जय ग्रेनाइट [illegible] की अनुज्ञा प्राप्त कर ली है जिसके खनन लीज क्रमांक 31 / 2013 पर खान एवं भू विज्ञान विभाग [illegible]र से अनुज्ञा प्राप्त कर कार्य कर रहें हैं जो आगामी 50 वर्ष के लिये खनन निविदा जारी की गई है तथा प्रार्थीगणों को उक्त आराजीयात पर स्वयं की मशीनरी एवं खान से निकलने वाली खनन सामाग्री को लाने ले जाने के लिये 30 फीट रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता है क्योंकी प्रार्थीगणों की खान के संचालन के लिये भारी एवं वृहत आकार की मशीनरी का समय आवागमन होता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा मुख्य प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेज खनन लीज सहमति पत्र की प्रतिलिपि में भी अंकन है कि हम सहमति देने वालों का खसरा संख्या 798/1 रकबा 25 बीघा में 4/5 हक हिस्सा मौजूद है उस हक हिस्से को आज दिन इस विलेख द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को द्वितीय पक्ष के हक में उपरोक्तानुसार तहरीर किया जा रहा है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की उपधारा 01 में यह स्पष्टतया उल्लेख किया गया है "यह आवश्यकता अत्यांकित आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है" जबकि प्रार्थना पत्र के मनन से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट हुयें कि वर्तमान में उक्त भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है, प्रार्थीगण स्वयं इस कथन की पुष्टि अपने प्रार्थना पत्र में कर रहें है साथ ही तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट में भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि उक्त भूमि पर वर्तमान में खनन कार्य किया जा रहा है। केवल ओर केवल इस आधार पर कि वर्तमान में वादअधीन आराजीयात की कृषि भूमि है, प्रार्थीगणों को राज.का.अधि. 1955 की धारा 251(क) में रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है, उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज.का.अधि. 1955 की धारा 251(क) को खारिज करतें है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested